

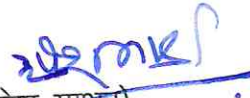
राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (T-37) अलेसे-1/ 674

दिनांक:- 29.07.2022

आदेश

श्री तुलछाराम (लिंग नं. 6474), तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरु) द्वारा जिला कलक्टर, चूरु के आदेश क्रमांक 676 दिनांक 31.07.2020 एवं इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 1951 दिनांक 06.01.2021 की अनुपालना में दिनांक 04.08.2020 से 06.01.2021 तक अपने पद के कार्य के साथ-साथ कार्यालय उपकोषालय, राजगढ़ (चूरु) में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दिनांक 04.08.2020 से 06.01.2021 तक का स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभार स्वीकृत किया जाता है।

  
(भूपेश माथुर)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (T-37) अलेसे-1/ 674-682

दिनांक:- 29.07.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. जिला कलक्टर, चूरु।
2. कोषाधिकारी, चूरु।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरु)।
4. उपकोषाधिकारी, राजगढ़ (चूरु)।
5. श्री तुलछाराम, लेखाधिकारी, कार्यालय पंचायत समिति, चूरु।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
(धीरज सिसोदिया)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)